Press Release

TATA POWER-DDL

मंगलवार, 19 जून, 2023 | **तत्काल प्रकाशनार्थ**

नई दिल्ली

टाटा पावर-डीडीएल के उपभोक्ता को बिजली चोरी के आरोप में हुई सजा, स्पेशल इलैक्ट्रिसिटी कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनायी

- माननीय अदालत ने ₹3,51,451 की देनदारी तय की

अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल ने, जो कि नॉर्थ दिल्ली में 7 मिलियन से अधिक की आबादी को बिजली सप्लाई करती है, बाली राम के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में कानूनी जीत हासिल की है। रोहिणी, दिल्ली स्थित श्री जितेंद्र सिंह की माननीय स्पेशल इलैक्ट्रिसिटी कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, अभियुक्त बाली राम को एक साल की सजा सुनायी और साथ ही, बिजली चोरी की एवज में ₹3,51,451 (तीन लाख इक्यावन हजार चार सौ इक्यावन) की देनदारी भी तय की है।

यह 05 अगस्त, 2017 का मामला है जब टाटा पावर-डीडीएल की टीम ने ब्लॉक डी, जे जे कालोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली में औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान दौरान, बाली राम के परिसर में बिजली चोरी का पता चला। वह पोल नंबर 515-26/12/4 के नज़दीक LT ABC लाइन से बिजली लेकर गैर-कानूनी तरीके से ई-रिक्शों की चार्जिंग करता था। इसके लिए अभियुक्त दो सिंगल-कोर रैड वायर का इस्तेमाल फेज़ और न्यूट्रल कनेक्शंस के लिए किया करता था, जिन्हें ई-रिक्शों के चार्जिंग प्वाइंट्स से कनेक्ट किया जाता था।

टाटा पावर-डीडीएल ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में अनुच्छेद 135 के तहत् FIR No. 1481/2017 दर्ज करवायी। मामले की जांच के बाद बाली राम के खिलाफ विद्युत अधिनियम 135 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

इस मामले में गवाहों के बयानों और अभियोग पक्ष द्वारा दायर अन्य साक्ष्यों के आधार पर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह, स्पेशल इलैक्ट्रिसिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ

वैस्ट रोहिणी, दिल्ली एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे। अदालत ने अभियोग पक्ष के आरोपों को असंदिग्ध रूप से सही पाया और बाली राम को विद्युत अधिनियम के अनुच्छेद 135 के तहत् सजा सुनायी।

टाटा पावर-डीडीएल ने इस मामले में माननीय विशेष विद्युत अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए बिजली चोरी से निपटने के लिए अपना अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया है। कंपनी सभी नागरिकों से भी इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड के मामले में सभी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों से दूर रहने जनता के हितों को नुकसान न पहुंचाने का अनुरोध करती है। साथ ही, टाटा पावर-डीडीएल बिजली चोरी की किसी भी घटना की रिपोर्ट तत्काल अधिकारियों से करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर का ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी नॉर्थ दिल्ली में करीब 7 मिलियन की आबादी के लिए पावर सप्लाई करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसे उपभोक्ता केंद्रित व्यवहारों के लिए जाना जाता है। निजीकरण के बाद से टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। वर्तमान में एटीएंडसी नुकसान 6.8% है, जिसमें जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान में अप्रत्याशित कमी आई है।

और जानकारी के लिए देखें www.tatapower-ddl.com

अधिक जानकारी हेतु मीडिया संपर्क:

कार्पोरेट कम्युनिकेशंस

सोनिया सरीन (9910292599)

मैडिसन पीआर

वरुण भारद्वाज (9599994592)

Blog